

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 104914



नवाब पत्त

हम कि प्रभुत कुनार राय पुत्र श्री उमाशंकर शुभ निवासी आग य फोरट-सल्लहपुर तहसील-सल्लहपुर जिला-दैगरिया हाल मुख्यम-ए-33 दिव्यनगर तथा व पश्चना-हवेली, तहसील-सदर जिला-गोरखपुर का हू। हम मुकिर रामाज के आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षिक विकारा हेतु निम्नार कार्य करते रहते हैं तथा हम मुकिर के मन नस्तिष्ठा गे अपने व्यक्तिगत कार्यो के साथ-साथ एवं समाज छित का धिनान बना रखता है। हम मुकिर की सार्विक इच्छा है कि समाज मे सुख-शान्मित्र आपसी वापराव य विश्वास सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक भुजों की रक्षणा हो। समाज के रामनहीन व्यवितयो के जीवन की मूल-भूत आवश्यकताएं, भोजन, शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित देशमगारों को उनके योग्यता के अनुसार लक्षीकृत एवं व्यावहारिक दान-प्रदान कर उन्हे देशमगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक निकास गे परस्पर माई-चारा, राम्प्रदायिक ताल-मैल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने मे लिंग भेद, जाति-पर्वति, धर्म-हूए, धर्म और समाजाय, रंग-नीध भी भावना कर्त्ता रो खो वाक न हो। जनहित के उक्त कार्यो को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकायिक लाग प्रदान करने के लिये विभिन्न विद्याओं समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता जो दर्शते हुये विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर हरकी दापूर्ण व्यवस्था के लिये हम मुकिर हारा एवं कल्याणकारी न्यास/द्रुज्ज दी रक्षणा की जा रही है। हम मुकिर हारा अपने उक्त हार्दिक

रामानन्द कुमार

۱۹۶۰-۱۹۶۱-۹۳-۹۲-۱۰۶
کو ۱۰۰۸

مکتبہ ملکیت ادبی
کتابخانہ ملکیت ادبی
کتابخانہ ملکیت ادبی
کتابخانہ ملکیت ادبی

س پ ۷۱

۰۰۱-



भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 104919

इच्छा की पूर्ति के लिये एथा इस हेतु आपश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावजूद 900/- (नौ हजार एक) रुपये का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की हुग व्यवस्था करते रहेंगे। हम गुकिर ने अपने हारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावजूद एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रहे हैं, जिसकी व्यवस्था निम्न रूपेण की जायेगी—

1. यह कि हम गुकिर हारा स्थापित न्यास का नाम “रामगुलाम राय राजादेवी चैरिटेबुल ट्रस्ट” होगा जिसे हारा न्यास पत्र में आगे “न्यास” अथवा “ट्रस्ट” शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि हम गुकिर हारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय ऐ-33 दिव्यनगर, पोस्ट-कूडाघाट, तप्पा य परगना-हवेली, ताहसील-सदर, जिला-गोरखपुर में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारा रूप से सम्बादित करने तथा इसके उददेश्यों की सुगम प्राप्ति के बावजूद इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पासे पर ट्रस्ट मण्डप हारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिमिताओं के अन्तर्गत कराया जा सकेगा।
3. यह कि हम गुकिर ट्रस्ट मण्डप के संरक्षणक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम गुकिर हारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उददेश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को राजमता है, जो ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा जिनकी कुल संख्या 3 से कम तथा 7 से अधिक नहीं होगी; भविष्य में हम गुकिर हारा ट्रस्ट के उददेश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम गुकिर हारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डप/ट्रस्ट मण्डप कहा जायेगा। ट्रस्ट की राप्रापना के साथ हम गुकिर हारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है—

Abul Kumar Pi

220 40 2. 92. 106
LAWRENCE 1/4
— 252
Camp. 28



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
₹.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 100650

1. श्री उमाशंकर राय, पुत्र श्री अश्वनी कुमार राय निवासी ग्राम-पो०-सल्लहपुर, तहसील-सलेमपुर जिला देवरिया।
 2. श्री विनय राय पुत्र श्री उमाशंकर राय निवासी ग्राम-पो०-सल्लहपुर, तहसील-सलेमपुर जिला देवरिया।
 3. श्रीमती कुश्माण्डी राय पत्नी श्री उमाशंकर राय निवासी ग्राम-पो०-सल्लहपुर, तहसील-सलेमपुर जिला देवरिया।
 4. श्रीमती नीशु राय पत्नी श्री विनय राय निवासी ग्राम-पो०-सल्लहपुर, तहसील-सलेमपुर जिला देवरिया।
 5. श्रीमती सविता राय पत्नी श्री प्रभोद राय निवासी ग्राम-नसिरा, पो०-कोहरा, जिला-छपरा।
 6. श्री प्रथम राय पुत्र श्री विरेन्द्र राय निवासी भीखमपुर रोड, अम्बेडकरनगर, शहर ए जिला- देवरिया।
4. यह कि हम मुकिर द्वारा "रामगुलाम राय राजादेवी चैरिटेबुल ट्रस्ट" के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है -
1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
 2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा आम जनता में धैतना जागृत कर उन्हे शिखित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्म-निर्मर बनाना।
- 15/11/11 K.M.R.

४३६

७२/७२/dw-6

प्राचीन ग्रन्थालय
गुरुग्राम

१० दूर्वल क्रमांक
पा. सं. २४ अप्रैल ६६



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
₹.50

FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 10520

3. नव-चुवाक, नव-चुवतियों व छात्र-छात्राओं को रघनालगक दिशा देना एवं उनके सर्पागीण विकास के लिये प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विदालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
4. दर्तमान समय में विज्ञान के जन-जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अग होने की रिक्ति को देखते हुये तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञाशुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्यधुनिक टेक्नालॉजी के माध्यम से संप्रलङ्घ कराना।
5. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाई चारा, साम्राज्यिक तालगेल, राष्ट्र-भविता, राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम राष्ट्रीय परोहर की रक्षा, प्राकृतिक धीजों एवं जीवों की रक्षा, प्रकृति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति यकादारी तथा समाज के प्रति दिमेदारियों के लिये युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।
6. लिंग-भेद, जाति-पांति, ऐउ-चूत, धर्म और राष्ट्रादाय, ऊँच-नीच की भावना को समाप्त करने के लिये प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्व/लिंगुचर आदि की ध्यानस्था करना।
7. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा देश के विन्सी होंड में सामान्य शिक्षा/तकनीकी गैर तकनीषी शिक्षा/विधि शिक्षा/शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।
8. समाज/स्थानीय जावश्यकताओं को देखते हुये किड-केयर, नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी०जी० कालेज ली स्थापना करना तथा

٦٢٩ ٥٥٧٣ ٩٣-٩٢-٢٠

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
— ۲۴۸ —

۷۸
(میر)



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
₹.50

FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 105202

आमदानी के बोत हेतु विद्यालय काम्पाउण्ड में तुकान व आवास का निर्गमन करना।

9. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमज़ोर विद्यार्थियों के लिये अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे— मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीट्रेडिनिंग, बैंक, पी०सी०एस०, आई०ए०एस० में प्रवेश की तैयारी के लिये कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था तथा उन्हें होने वाली आय से संरक्षा का पोषण करना।
10. संस्था के प्रत्येक सोजनालयों में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समृद्धि प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में सीट पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।
11. अनुसृद्धि जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमज़ोर वर्गों के लिये स्व रोजगार औजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उन्हें लिये शैक्षणिक क्षेत्र में कमज़ोर विद्यार्थियों के लिये अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।
12. सुधाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे— सिलाई, कढाई, बुनाई, पेन्टिंग, रखीनिंग, पेन्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी०वी० ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैंप्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुर्किंग / चेकरी एवं नशरलम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे— केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। ओवरफ्रॉन्टनुसार उनके लिये प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, आध्यात्मिक कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
13. राज्य प्रसरण करने जैसे— डैम, जौली, मुख्या, अचार, केचप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

552 4-3 93.92.116

441a 246(14)

— 232

(14) 28



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
₹.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 105203

14. युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे – हैण्डी क्रापट, सारंकृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निरच, व्याख्यान तथा खेल-कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संरक्षा का उद्देश्य है।
15. सामाजिक कल्याण हेतु विभिन्न सारकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे—गृणे, बहरे, अन्धों, अपग एवं मानसिक स्वप से कमज़ोर वच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब वच्चों निराश्रित अनाथ वच्चों एवं युवाओं के लिये विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हे आत्मनिर्भर बनाना आदि। यिन लाभ-हानि के अन्य छात्रावासों का निर्गमन व उनकी समुचित व्यवस्था करना आदि।
16. बृद्धों के लिये विश्राम केन्द्र अध्या पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना, यिरांगे मनोरंजन, पढ़ने-लिखने एवं उन्हे खेलने की पूर्ण सुविधा हो।
17. गहिला संरक्षण गृह/विद्या पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हे सारकारी सहायता दिलाना।
18. रानुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ स्तीचालय, विकिल्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र आगंवाड़ी, बालवाड़ी, छाना रेटेज, प्रशिक्षण हाल एवं जन्म प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध बरना।
19. सारकारी/अर्द्धसारकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बढ़ावा देना, उगाना, कृषारोपण, औषधियों एवं जड़ी—पूटी वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसिनल प्लान्ट) (सीन्दर्य उपयोगी पौधों) (पलोरी

250. 3. 93. 9. 1. 446

سیکھیا
لے دیا

لے دیا



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

₹.50

भारत

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 105204

(कल्पवर) सुगम्य हेतु अन्य पौधों वा अन्य आर्थिक गहत्या वाले पौधों का रोपण करना। सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टिकोण से विलुप्त पौधों की खेती करना।

20. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुये उरासे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा रखते रोजगार के लिये बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को रखते रोजगार हेतु जन-जन तक पहुँचाना।
21. राष्ट्रीय-एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं जटि संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का प्रिकास करना।
22. संरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमि, मकान तथा याहनों को छरीदना-वेचना, उन्हें किराये या सीज पर लेन-देन करना, मार्ज करना या गकान बनवाना, वेचना आदि।
23. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे— गूनीसेफ, आईटीआईएस०, नेहरू युवा केन्द्र, सामाज कल्याण एवं स्वारक्ष्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
24. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये ऊपरी उद्योग, ऐश्वर्य उद्योग, ग्रामकल्पी पालन, मुर्गी पालन, बत्ताख पालन तथा इनसे सम्बन्धित यीमारियों की जानकारी, रोक-थाम, टीकाकरण के लिये युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न कराना।
25. गीढ़ी, सिगरेट, तन्याकू पान-मसाला, भाँजा-भौंग, सौंक, एल०सी०डी० या किसी अन्य प्रकार के नशा का दौवन करने वाले लोगों को उनसे होने वाली

250 90-21-93-92-10

الكتاب
الوطني

— 250

— 250



भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 105205

बीमारियों के प्रति सरार्ह करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिये नशा-मुक्ति निःशुल्क प्रिविलेज की व्यवस्था करना।

26. समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे— अन्य-प्रिशास, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल अग, महिला शोषण, लिंग-गोद, अस्पृश्यता, जाति-पास एवं छुआ-छूत की भावना, स्वैच्छिक भावना के हास को दूर करना तथा इसके लिये जागरूकता / प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
27. महिलाओं से सम्बन्धित यीन प्रहार या आक्रमण / यीन प्रताड़ना, युवतीयों का खरीद-फरोख्त, पारिवारिक हिसा, महिला अथवा विधवा उत्पीड़न आदि से मुक्ति दिलाना। इसके लिये दुराओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना अथवा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।
28. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना— विभिन्न त्वीहरों जैसे— होली, दीयाली, दशहरा, मुहर्रम, ईद, बकरीद अथवा समारोह जैसे— शादी, गवना, सालगिरह एवं जन्मदिन पर होने वाले भोजन, धन तथा अनाज के अपव्यय की रोक-थाम हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।
29. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे— योग, जिम्मारिटक, जूटो, कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता चरना। इसके लिये संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिये प्रयास करना।
30. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, पेयजल, स्वच्छता, जन संख्या वृद्धि एवं परिवार कल्याण योजनाओं को कियान्वित करना, जिसमें जागरूकता प्रशिक्षण / कौप सहायता एवं हैंड-पाइप की व्यवस्था करना।

५०. २३३. २०. २१ १३. ७२. ८०८

गोपनीय
सुरेश/सुरेश
सुरेश
गोपनीय सुरेश/सुरेश



भारतीय यौर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES


INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH कल्याण के होत्र में जनसंघ्या बृद्धि नियमित वितरण के होत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण दवा/फिट वितरण एवं उनका प्रयोग की सुविधा के साथ-साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रखतान शिविर या आयोजन करना।

03AA 928101

32. एड्स, कैन्सर, टी0र्बी०, लोड, मलेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी, सोकथाम/नियोन्जन/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा उन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, भैडिकल कालेज या उन धिकैस्कॉल/पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
33. घासीण एवं शहरी शेत्रों में गिरावरियों, झुग्गी झोपड़ी एवं मलिन वसियों में रहने वाले व्यक्तियों को 'आदार', गोजन, पेयजल, स्पार्श्य, प्रशिक्षण एवं सामाजिक धैतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध करना।
34. सरकारी कार्यक्रमों जैसे बूढ़ा एवं सूड़ा को संचालित करना।
35. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय नाली, सड़क निर्माण, खुड़न्जा, पिंथ, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आदारा बनाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध करना।
36. कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिये नये-नये वैज्ञानिक तकनीकी उपयोग करना तथा नये-नये शौधित धौंजों को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित धौंजारियों की जानकारी देने अथवा दाढ़ा दाढ़ा तथा सुखा के लिये आग लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं


Krishna Kumar

200 20-2-93 92.2 → 6
2412 2412
— 227

CHM 78



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH करना। साथ ही राष्ट्र कृषि उत्पाद का उन्नयन गोला गोला तिलहन, दलहन तथा कृषि वागवानी खोड़ के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार-प्रसार करना तथा स्थाई कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषकों को प्रशिक्षित एवं स्वामानित करना।

03AA 928102

37. धर्मी, कैम्पोर्ट्स एवं सांस्कृतिक संस्थानों को बदाया देना तथा भूमि को वैज्ञानिक उद्योगों से होने वाले हानि से लोगों को अवगत करना।
38. बन्धार एवं उत्तर भूमि, गैर पारम्परिक ऊजाइ श्रोत, वातावरणीय संरक्षण, जल एवं अन्य प्राकृतिक सम्पदों के संरक्षण को विकरित करने के लिये विभिन्न योजनाओं को लागू करना।
39. जल, धार्य, मृदा एवं धनि प्रदूषण की जानकारी/निगन्त्रण/उनसे होने वाली वीमारियों के मारे में युवाओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिये रचनात्मक दिशा में कारगर कदम उठाना।
40. प्राकृतिक आपदा जैसे- हैजा, प्लेग, भुखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, घट्ठवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गौयों, व्यवितयों एवं पशुओं का सर्वेक्षण एवं पहचान करना तथा उन्हे सहायता प्रदान करना समिलित है। ऐसी दशा में लोगों को बचाव एवं भावी रणनीति के लिये सहयोग/जागरूकता तथा प्रशिक्षित करना है। इसके लिये लोगों/रांस्था तथा कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है। इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल है।
41. लावारिस, असहाय पशुओं एवं वीमार जानवरों विशेष कर कुत्तों एवं गायों की देख भाल के साथ-साथ समुद्धित रांस्था तथा उनके पोषण, निशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना/पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था

226 20.2.92.92.11-6

444 20.2.92.92.11-6
— 226

(M) 28



भारतीय नैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 928103

करना। प्रतिबन्धित पशुओं के अवध हत्या को रोकना, पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिये पशु गेले का आयोजन करना।

42. सत्कृति सुविधा पहुँचाने हेतु राटक/ट्रेन/बस/दुर्घटना, जलभी व्यक्तियों, ग्रन्थदर्ती महिलाओं, शीगां असहाय, बृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिये अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक से जाने के लिये मोबाइल हमरजोन्सी एम्बुलेन्स/दैन की व्यवस्था करना।

43. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वयन करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित हैं तथा विभिन्न विभागों व एनोजीओओ के माध्यम से चलाया जा रहा है।

44. पंचायती राज एवं उपमोक्षात् सरकार को यारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिये वार्डनिंसिलिंग केन्द्रो की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी राहायता की जा सके।

45. गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या विकासकीय सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।

46. किसी एनोजीओओ द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा राखेगा।

47. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सर्वे कार्यालय, कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार वा किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य दृश्य फैसेट, कठपुतली, सामग्री, टाक्यूमेन्टरी एवं नुक्कड़-गाटक किट दीयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा होतों में प्रयुक्त होता हो, जिससे न्यास के उद्देश्य की वृत्ति होती है।

25- 20. 2. 93. 92. 26
26/2 21/2 614
— 26
26



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 928104

48. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तंत्र अथवा एनजीओ, एसोसियेशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनके लिया — कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस तंत्र से गिलते हों।
 49. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संरथा के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रान्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति समिलित है।
 50. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुँचाना।
 51. संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसके शाखा या इसके क्रिया-कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।
 52. सरकारी, अद्वे सरकारी अथवा गैर सरकारी पैकों से संरथा के उद्देश्य की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।
5. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य
1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
 2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न ईकाइयों को सुधार घटावस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।
 3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुधार रूप से संघालन के लिये समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमबद्धी तथा उप नियमों को बनाना।

Vishal Kumar



20. 2. 93. 92. 24. 4

— 78



आरबीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 928105

4. द्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के हित विभिन्न प्रालंघनों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चंदा इत्यादि करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईया गठित करना।
5. द्रस्ट के अधीन चलने वाले संस्थाओं को रांचालित बनने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लागतीयों से शुल्क प्राप्त करना।
6. द्रस्ट द्वी सम्पत्ति की देख-भाल करना, तथा द्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतह प्रयोग करना और आवश्यकता पैदों पर द्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्वारित करना व अन्य प्रकार से उसको व्यवस्था करना।
7. द्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की रिप्पत उत्पन्न होने तथा किन्हीं आक्रमणिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावजूद गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था द्रस्ट में निहित करना।
8. द्रस्ट के अधीन स्थापित एव संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गृह-शालाओं व अन्य समरत समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आवृत्त एव व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य बायीं को करना।
9. द्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिये साता द्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, गैर सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य ओतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से द्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।
10. द्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिये द्रस्ट गण्डल द्वारा संकलित रामस्त कायी को करना।
11. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की प्रथम परिनियमावली व उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक रत्तर पर शैक्षिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस दृष्टि स्नातक व स्नातकीस्तर

१६० २०.८.७३.७२.१०५

ग्रन्थालय
काशी विश्वविद्यालय

ग्रन्थालय





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 928106

MAHARASHTRA / इन्स्टीट्यूट्स की स्थापना करना। इस प्रकार इथापति हालांकि संस्थाओं के सुधार प्रयत्न व्यवरथा हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए प्रशासन योजना तैयार कर सहम प्राधिकारी / कलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

12. द्रष्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/ तकनीकी/ गैर तकनीकी विद्यालयों व इन्स्टीच्यूट्स की मान्यता द समझदारों के रामबन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/ परिनियमादली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समर्सा आवश्यक कार्य करना।

6. द्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन-

प्रैर्स का मठन एवं संधालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा—

1. द्रस्ट के मुख्य द्रस्टी एवं प्रबन्धक हैं, मुकिर होगें और द्रस्ट के मुख्य द्रस्टी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य द्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। मुख्य द्रस्टी का यह अधिकार उसके द्वारा वसीयत के माध्यम से अगले मुख्य द्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबिधित नहीं करेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य द्रस्टी की मृत्यु हो जाय तो द्रस्ट के शेष द्रस्टियों को मुख्य द्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर द्रस्ट का मुख्य द्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा।
 2. मुख्य द्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अवधता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित द्रस्टी मुख्य द्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा।
 3. द्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से द्रस्टीगण को द्रस्ट की सुवाल प्राप्ति व्यवस्था के लिए द्रस्ट के आधक, उपाध्यक्ष, कोपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्ति विद्ये गये द्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। द्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन द्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत दे आधार पर किया जायेगा। द्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आग सहमति के आधार पर कार्यवाही राम्यन् यी जायेगी। यदि किन्हीं परिस्थितियों में

~~your best friend~~

५६९ दा. २८. १८. ७२. ३३६

गाय

कुश/पूर्णी/

७८

वार विष्णु विष्णु



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 928107

ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो राका तो पदाधिकारियों का निवाचन मुख्य द्रस्टी की देख-रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निवाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य द्रस्टी का निर्णय सभी दृस्टियों को लिये मान्य एवं अनिम होगा।

4. द्रस्ट मण्डल के किसी भी द्रस्टी के त्वाग-पत्र देने अथवा गृह्य होने पर उनके स्थान रिवित हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिवित की पूर्ति मुख्य द्रस्टी द्वारा द्रस्ट के हितेष्ठी किसी अन्य व्यक्ति वो नामित करके कर ली जायेगी।
5. द्रस्ट मण्डल के किसी सदस्यों द्वारा उसके द्वारा द्रस्ट के उददेश्यों के विपरीत कार्य कर्म अथवा द्रुरट्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में द्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से द्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुधार्य एवं हितेष्ठी व्यक्ति को द्रस्ट मण्डल के द्रस्टी के रूप में संयोजित कर दिया जायेगा। यदि कोई द्रस्टी उक्त प्रकार से द्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे द्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।
6. द्रस्ट द्वारा संचालित गहाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मधारी के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय परिनियमबदली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिये नियमानुसार सधाम प्राधिकारी, से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार समन्वित गहाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होने तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।
7. द्रस्ट मण्डल का कोई भी द्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो द्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित द्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. द्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य द्रस्टी अथवा न्याया मण्डल द्वारा भेजे गये विरों प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्च व उसके संबंध में प्रस्तुत व्यय राशि से संबंधित यिलों व याउधरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यायी के पास सुरक्षित होगा।



५० ३६२ जून २०१८ ११८

श्रीमद्भागवत पुस्तक

प्रसाद वा० २०

दिल्ली राष्ट्रीय प्रगति



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA


INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(ग) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिकेशन

03AA 928108

1. ट्रस्ट मण्डल की बैठक में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त राजी व्यक्तियों द्वारा 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अद्योग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्ण अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।
2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के सालेन्स वर के क्रिया - कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं नियंत्रण पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अनिम होगा।
3. मुख्य ट्रस्टी /प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य
 - इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
 - ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रक्की देना।
 - ट्रस्ट की समस्त कार्यपाली लिखाना व अन्य अभिलेखों को रीयार करना/कराना।
 - ट्रस्ट की बैठकों को आमत्रित बरना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल जैसे सदस्यों को देना।
 - ट्रस्ट की घल व अघल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय-व्यय का हितावधि तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के सामाज रखना।



4-262 20.21 93-92.1-6

શામ - ... કુલાંગ કુલાંગ
શામ/પદ્મી/બની

शाब संग्रह प्रभाद वा० न० — २४
दिलानी कल्पना गोरक्षण



भारतीय रौप्याधिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 928109

- द्रस्ट को आर से द्रस्ट की समस्त चल-अधल राम्पति के हस्तान्तरण प्राप्त से सम्बन्धित लेखों को हस्ताक्षरित करना।
- द्रस्ट द्वारा तथा द्रस्ट के विलहू की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में द्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
- इस द्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा द्रस्ट की मुख्य प्रबन्धक के रूप में उन द्रविटियों के सहयोग से द्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।
- द्रस्ट के वार्षिक बैठक की अव्यक्ता करना।
- द्रस्ट के आय-व्यय का रिपोर्ट लेखार करना तथा द्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से द्रस्ट के आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
- द्रस्ट के वित्त राम्पन्दी लेखों का चुचाल रूप से रख-रखाव करना।
- 8. द्रस्ट के कोष के सुचाल रख-रखाव एवं उसकी घटवस्था हेतु किसी ढाकधर या राष्ट्रीयकृत/गान्धता प्राप्त अधिसूचित बैंक में द्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें द्रस्ट को प्राप्त होने वाली सागस्त प्रकार की धनराशिया एवं ब्राण राशियों निहित होंगी, द्रस्ट के नाम खोले गये खाते का साधालग मुख्य द्रस्टी द्वारा अकेले अधिकार मुख्य द्रस्टी द्वारा अधिकृत द्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।
- 9. द्रस्ट के अनिलेख

द्रस्ट के अनिलेखों को रैयार करने/कराने पर रख-रखाव का दायित्व मुख्य द्रस्टी का होगा। मुख्य द्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से द्रस्ट के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखों का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

Deshnaik Kumar R.



2-6 90-10-98-92-256

الله يحيى العرش






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 928110

10. द्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था

द्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में जारी:-

- यह कि द्रस्ट मण्डल द्वारा द्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यापतायों, वित्तीय संस्थाओं व वैकों से दान, राहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित एवं वैधानिक गान्धग से द्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में द्रस्ट की ओर से दरतावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य द्रस्टी व एक अन्य द्रस्टी, जिसे कि गुरुत्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।
- यह कि मुख्य द्रस्टी द्रस्ट की तेजुक से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी बल या अधल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। द्रस्ट मण्डल द्रस्ट की सम्पत्ति या संपत्तियों को किराये पर दे सकेगा या वेच सकेगा।
- यह कि द्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरुपयोग करने दाले को दण्डित करने का अधिकार द्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। द्रस्ट व उसके अपील संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विलम्ब मुख्य द्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील द्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।
- द्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व पितालय में प्रदनकारीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में द्रस्ट मण्डल का निर्णय अनिवार्य मान्य होगा परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या पितालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था द्रस्ट में निहित रहेगी।



२२ डॉ. १०. २१. १८९२ ८०८

प्रमाणित करने वाले का नाम
कुल/प्रभारी

रक्षा

प्रमाणित

कर्तव्य का नाम
कुल/प्रभारी

कुल/प्रभारी

102
66

9,001.00

निवासी की गणि
श्री / श्रीमती प्रभात कुमार राय
पुत्र / पत्नी की उमाशंकर राय
पेशा व्यापार
निवासी स्थायी रास्ताहपुर टाठोसलेमपुर जिला देवरिया
अस्थायी पता ए ३३ दिव्य नगर शहर गोरखपुर
ने यह सोशलाइज इन पर्फर्मेंस दिनांक 15/12/2007 ग्राह्य 5:20PM
करने विषयक हेतु दिया।

बात ५५

200.00	50	250.00	2,200
पीढ़ी गरिमटी	नकल व पति गुरु	पांग	उद्दलगमन



प्रभारी उप निवन्धक
उप निवासी द्वितीय
गोरखपुर
15/12/2007

Prabhari Kuma

निवासन तंत्रज्ञान वाद मुनने व समझने गजमून
न्यासी

श्री/श्रीमती प्रभात कुमार राय
पुत्र/पत्नी श्री उमाशंकर राय
पेशा व्यापार
निवासी रास्ताहपुर टाठोसलेमपुर जिला देवरिया



ने निवासन स्वीकार किया।

निवासी पहचान वाला निवास कुमार राय
पुत्र वाला राम गीरीश राय

पेशा शिवाक

निवासी रास्ताहपुर शहर गोरखपुर

वाला शुभेंदु कुमार राय

पुत्र वाला टाठोसलेमपुर राय

पेशा शिवाक

निवासी २७ ए न्यू नाय कालोनी शहर गोरखपुर

ने की।

प्राप्यकाता भव साक्षितों के निवास अनुठे नियमनुचय लिए गये हैं।



प्रभारी उप निवन्धक
उप निवासी द्वितीय
गोरखपुर
15/12/2007


सुधार छागर (ग)

किया गया

प्रभारी

रजिस्ट्रेशन अधिन 1908 की धारा-32 ए० के अनुपालन हेतु,
फिंगर्स प्रिन्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता श्रीमान लुमर राज मुख्य मंत्री उमाऊँकर सराय बिहारीजी
लेखन शुल्क प्राप्ति वाले विवरण देवरिया दाम सुन रहे हैं दिल्ली विवरण दाम सुन रहे हैं
बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता / विक्रेता नाम व पता

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

₹. 100



Rs. 100

ONE

HUNDRED RUPEES

15 DEC 2002

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 871224

- द्रस्ट के आय व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य द्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।
 - द्रस्ट द्वारा या द्रस्ट के विरुद्ध किसी भी वैधानिके कार्यवाही का संचालन द्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी द्रस्ट की ओर से मुख्य द्रस्टी द्वारा अथवा मुख्य द्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत द्रस्टी द्वारा की जायेगी।
 - द्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा बुर्सिका का विवरण भी द्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। द्रस्ट मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यों को करेगा अथवा किसी व्यक्तिया व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त द्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मधारियों की भी नियुक्ति करेगा।
 - द्रस्ट मण्डल, द्रस्ट के लिये वह सभी कार्य करेगा जो द्रस्ट के हितों के लिये आवश्यक हो तथा द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।
 - द्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति द्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में द्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित जायेगी उसके बायत भी यह शर्तें लागू होगी।

१०७ नवीन १२१९८१८०६

कामः उत्तराखण्ड से अलग होना विकास
प्रदेश
इ. पूर्वोत्तर भारत गैरिका
मा. ना. २४ कल्कटा फृहरा; पोरबंग ०००८८७

न्यासी

Registration No 227

Year: 2007

Book No. 4

0101 प्रभात कुमार राय

उमाहेंकर राय

सालकाहुर नहरीसलेमपुर गिला देवरिया

ग्यापाह



०९२





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 100649

घोषणा

‘यमगुलाम दाय दाजादेवी धैटिटेबुल ट्रम्ट’ की तरफ से हम प्रभात कुमार राय मुख्य न्यासी के रूप में
यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व धित से बिना
किसी बाहरी दबाव के सोध-समझ कर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस
न्यास का विधिवत गठन को सके।

हस्ताक्षर साक्षीगण :

1. किंषु कुमार राय पुर्ख
रुस्तमपुर गोरखपाटा
2. शुभेत कुमार राय पुर्ख
डॉ. अष्टिलालनंद राय
३७-A, नई राष्ट्र कालोनी
गोरखपुर
दिनांक - १५-१२-२०२७

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी
[Signature]

Rajay Kumar
मजमूनकर्ता न्यायिक
कानूनी संस्कृति, Gorakhpur

१९७६ वृष्टि का नियम

५० ग्रन्थालय वस्त्र एवं विशेष
वर्ष नं. २८ लोकटुरी चतुहरा; शोरापुर

शाज दिवांक 15/12/2037 को

यहाँ सं ४ जिल्हे सं 116

पुस्तक सं 143 पं 184 रा क्रमं227



प्रभारी द्वारा दिया गया
उप नियमका क्रेतीय
गोपनीय
१५.१२.२०३७